कोरोना
अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जोधपुर

क्रमांक : आपदा प्रबंधन/2020/16536 दिनांक 23/11/2020

—: एडवाईजरी :—

जोधपुर जिले में कोविड—19 के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह—9/2019 दिनांक 21 नवम्बर, 2020 तथा दिनांक 22 नवम्बर 2020 के अनुपालना में एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक आपदा प्रबंधन/2020/16433 दिनांक 23.11.2020 के अनुक्रम में जोधपुर जिले में वर्तमान में आयोजित होने वाले विवाह एवं अन्य राजनैतिक/ सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन स्थल यथा:***मैरिज हॉल/मैरिज गार्डन/होटल/रेस्टोरेन्ट/बैंक्वीट हॉल/सभागार/सामुदायिक भवन आदि के संचालकों*** के लिए निम्नानुसार एडवाइजरी जारी की जाती है:—

1. संचालक अपने परिसर में किसी आयोजन से पूर्व आयोजक के साथ चर्चा कर यह सुनिश्चित करेगें कि:—
   - *आयोजक द्वारा आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी को सूचना दी जाकर अनुमति प्राप्त कर ली गई है।*
   - *आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या 100 से अधिक नहीं है।*
   - *आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी, फेस मास्क, सेनेटाईजेशन आदि के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।*
   - *प्रत्येक कार्यक्रम के पश्चात् पूर्ण भवन को सैनेटाईज किया जाये।*
   - *संचालक द्वारा भवन/हॉल में सी.सी.टी.वी की व्यवस्थाना करना।*
   - *प्रत्येक प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कोनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।*
2. संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिसर के बाहर 3*2 फीट का एक बोर्ड लगा हो जिस पर बडे अक्षरों में स्पष्ट रुप से ***"नो मास्क—नो एन्ट्री"*** अंकित किया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावें कि साज सज्जा के दौरान यह बोर्ड ढक या छुप नहीं गया हो तथा प्रथम दृष्टया स्पष्ट रुप से नजर आ रहा हो। रात्रि के समय के लिए इस बोर्ड पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
3. संचालक अपने परिसर के प्रवेश द्वार तथा कार्यक्रम स्थल पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने की व्यवस्था कराएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाहे जाने पर **सी.सी.टी.वी रिकॉर्डिंग** उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
4. संचालक एक ही परिसर में एक समय में एक से अधिक कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान नहीं करे।
5. प्रत्येक आयोजन के उपरान्त संचालक अपने स्तर से समस्त दिवारों, रैलिंग, सुविधाओं, तथा अन्य ऐसे समस्त स्थानों जिस पर आगामी कार्यक्रम के प्रतिभागियों का स्पर्श संभावित हो, को अच्छी तरह से सोडियम हाईपोक्लोराइट द्वारा विसंक्रमित कर दिया गया है।

कोविड—19 संक्रमण के वर्तामन परिदृश्य को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ऐसे कार्यक्रम स्थल के संचालकों से विशेष सावधानी व सजगता की अपेक्षा की जाती है, संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में इनके प्रयास काफी महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त निर्देशों की अननुपालना अथवा उल्लघंन की दशा में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भारतीय दण्ड संहिता के विविध प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही के लिए बाध्य होना पडेगा तथा ऐसे परिसर को सीज भी किया जा सकेगा।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक : आपदा प्रबंधन/2020/16537-16636 दिनांक 23/11/2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् संभागीय आयुक्त/पुलिस आयुक्त/महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जोधपुर
2. जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण/आसूचना/पुलिस उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय, जोधपुर
3. आयुक्त/समस्त उपायुक्त नगर निगम जोधपुर (उत्तर/दक्षिण)/जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर।
5. अपर जिला कलक्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अपर जिला मजिस्ट्रेट, शहर–प्रथम, जोधपुर/जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर/ प्रोटोकॉल अधिकारी, जोधपुर/जिला रसद अधिकारी, शहर, जोधपुर।
6. समस्त इन्सीडेन्ट कमाण्डार/उपखण्ड अधिकारी/समस्त तहसीलदार/समस्त विकास अधिकारी/समस्त थानाधिकारी जिला जोधपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/प्राचार्य डॉ.एस.एन.मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
8. निजी सहायक, गोपनीय शाखा, जिला कलक्टर/अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर/रक्षित पत्रावली।

सचिव,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
एवं अति.जिला कलक्टर
जोधपुर